प्र.स. 02/2017 राजेन्द्र V/S उपजिला

18.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी अनु.। वकील प्रार्थी बहस हेतु अवसर चाहते है। जो उन्हें इस निर्देश के साथ प्रदान किया जाता है कि आईन्दा पेशी पर आवश्यकरूपसे बहस सुनी जावेगी। पत्रावली 05-03-2025 को पेश हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

05.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप.। ~~[illegible]~~ विपक्षी से.। के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है। वकील अपीलार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा ~~जो उन्हें प्रदान किया~~ प्रकरण काफी पुराना है। बहस हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके है। न्यायहित में एक अवसर और प्रदान किया जाता है। पत्रावली बहस अन्तिम हेतु 02.04.2025 को पेश हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

02.04.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु 09.04.2025 को पेश हो।

09.04.2025 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार/ राजकीय अधिवक्ता श्री शिवशचन्द्र तिवाड़ी ने विवादित आराजीयात सम्बंधी नकल जमाबन्दी की फोटोप्रति पेश की, जिसे शा.फा. किया गया। पत्रावली वास्ते मजीद बहस हेतु 15-04-2025 को पेश हो।

15.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील ~~निगरानीकार~~ प्रार्थी अनुपस्थित। राज्यपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। ~~निगरानीकार~~ प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को बार-2 आवाजे लगवाई गई किन्तु किन्तु कोई हाजिर नहीं आया। समय 3.00 PM हो चुका है। लिहाजा ~~निगरानी~~ प्रार्थी का मौजूदा प्रा-पत्र बाबत आंवटन निरस्तीकरण दिनांक 28.06.2017 अदम पैरवी-अदम हाजरी में ~~अस्वीकार~~ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा